रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022021-225116
CG-DL-E-11022021-225116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2021/माघ 22, 1942
No. 73]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2021/MAGHA 22, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 112(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 378ज की उप-धारा (4) और धारा 378यठ की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उत्पादक कंपनी (सामान्य आरक्षित) नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्पादक कंपनी नियम, 2021 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन के तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम, धारा 378क के खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी उत्पादक कंपनी को लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) ''अधिनियम'' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

   (ख) ''धारा'' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) ''सहकारी समिति'' से किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के ब्यौरे के विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उक्त नियमों में है।

4. **एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन.-** कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 27, नियम 30 और नियम 31, जिसके अन्तर्गत उसमें उल्लिखित प्ररुप भी हैं, उत्पादक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जाएंगे।

5. **साधारण आरक्षितियों का विनिधान.-** कोई उत्पादक कंपनी, निम्नलिखित के किसी एक में या संयोजन में अपनी साधारण आरक्षितियों में से विनिधान करेगी, अर्थात्:-

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सहकारी समितियों या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए अनुमोदित प्रतिभूतियों, नियत निक्षेपों, एककों और बंधपत्रों में; या

(ख) किसी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक में; या

(ग) किसी अन्य अनुसूचित बैंक में; या

(घ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 02) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों में; या

(ङ) किसी अन्य अंतर राज्य सहकारी समिति या किसी सहकारी सोसाइटी के शेयरों या प्रतिभूतियों में; या

(च) अधिनियम की धारा 2 के खंड (72) के अधीन विनिर्दिष्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के शेयरों, प्रतिभूतियों या आस्तियों में।

[फा. सं. 5/1/2020-सीएल-I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2021

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 378H and sub-section (1) of section 378ZL read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Producer Companies (General Reserve) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Producer Companies Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicability.-** These rules shall apply to a Producer Company as referred in clause (l) of section 378A.

3. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) ''Act'' means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) ‘‘section’’ means the section of the Act;

(c) “co-operative society” means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

4. Change of place of registered office from one State to another.- The rules 27, 30 and 31 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, including the forms stated therein shall be applied for the purpose of change of place of registered office of a Producer Company from one State to another.

5. Investment of general reserves.- A Producer Company shall make investments from and out of its general reserves in any one or in combination of the following, namely:--

(a) in approved securities, fixed deposits, units and bonds issued by the Central Government or State Governments or co-operative societies or scheduled bank; or

(b) in a co-operative bank, State co-operative bank, co-operative land development bank or Central co-operative bank; or

(c) with any other scheduled bank; or

(d) in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (02 of 1882); or

(e) in the shares or securities of any other inter-State co-operative society or any co-operative society; or

(f) in the shares, securities or assets of public financial institutions specified under clause (72) of section 2 of the Act.

[F. No. 5 /1 /2020-CL.I]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.11 22:15:01 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022021-225109
CG-DL-E-11022021-225109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2021/माघ 22, 1942
No. 74]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2021/MAGHA 22, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 113(अ)—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम **कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2021** है।

(2) ये 01 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्: —

"12क. धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के अंतर्गत नोटिस की अवधि.- धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के प्रयोजनार्थ, समयावधि जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा वह प्रस्ताव किए जाने की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी।"।

[फा. सं. 01/04/2013-सीएल-V-पार्ट-IV]

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 794(अ) तारीख 24 दिसंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2021

G.S.R. 113(E)—In exercise of the powers conferred by sub clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 62, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the **Companies (Share Capital and Debentures)** Amendment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2021.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014, **after rule 12, the following rule shall inserted, namely:—**

“12A. Period for notice under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 62.- For the purposes of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 62, the time period within which the offer shall be made for acceptance shall be not less than seven days from the date of offer.”.

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : —The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 265(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 794(E), dated the 24th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2021.02.11 22:01:16 +05'30'

—रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022021-225115
CG-DL-E-11022021-225115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2021/माघ 22, 1942
No. 590] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2021/MAGHA 22, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021

का.आ. 644(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 फरवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 52 और धारा 66 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/3/2020-सीएल-I]

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2021

S.O. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020), the Central Government hereby appoints the 11th February, 2021 as the date on which the provisions of section 52 and section 66 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1 /3 /2020-CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

882 GI/2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.11 22:16:36 +05'30'